

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/26/2023-2024

07 जुलाई, 2023

सेवा में,

श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री मोती सिंह
ग्राम-पुन्निया, खरेला, जिला- महोबा,
उत्तर प्रदेश-210425

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 01.07.2023 का आर टी आई आवेदन पत्र इस सचिवालय में दिनांक 03.07.2023 को प्राप्त हुआ है, जिसके साथ दस रुपये की नोट सं. 15सी 170525 संलग्न कर आपने अपने आवेदन दिनांक 05.06.2023 पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपका दिनांक 05.06.2023 का आवेदन दिनांक 12.06.2023 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ था, जो की दिनांक 20.06.2023 को श्रीयुत जिलाधिकारी, जिला महोबा को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप श्रीयुत जिलाधिकारी, जिलाधिकारी कार्यालय महोबा, जिला- महोबा, उत्तर प्रदेश-210427 के कार्यालय से संपर्क करें।

अतः आपको पुनः सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।

(राजेश कुमार शर्मा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

rticell-vps@nic.in



फाइल संख्या उ. रा. स./18/01/2023-प्रशासन

20 जून, 2023

श्रीयुत जिलाधिकारी
जिलाधिकारी कार्यालय महोबा
मकानिया पूर्वा, महोबा
उत्तर प्रदेश-210427

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, निवासी- ग्राम पुन्निया, खरेला, जिला- महोबा, उत्तर प्रदेश का दिनांक 05.06.2023 का पत्र इस सचिवालय में दिनांक 12.06.2023 को प्राप्त हुआ है।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,

ह/-

(राजेश कुमार शर्मा)

प्रति सूचनार्थ :-

✓ श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, निवासी- ग्राम पुन्निया, खरेला, जिला- महोबा, उत्तर प्रदेश कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्यवाही हेतु उपर्युक्त अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

(राजेश कुमार शर्मा)